



आदेश

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला में कार्यरत प्रधानाचार्य वर्ग 'क' व 'ख' को उनके नामों के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त चार्ज व आदान-प्रदान शक्तियां दी जाती है:-

क्रमांक	जिन संस्थानों की आदान प्रदान शक्तियां दी जाती हैं।	जिन संस्थान के प्रधानाचार्य को आदान प्रदान शक्तियां दी जाती हैं।	रिमाकर्स
1	नलवा	श्री सुशील कुमार, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार।	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नलवा में जब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
2	जमालपुर,	श्री सजय कुमार प्रधानाचार्य, वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, होंसी।	यह आदेश दिनांक 30.6.2016 के बाद लागू होगा तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमालपुर में जब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
3	महिला तोशाम व तोशाम	श्री हरजान सिंह, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिवानी	यह आदेश दिनांक 30.6.2016 के बाद लागू होगा तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) तोशाम व तोशाम में जब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
4	बराड़ा एट होली	श्री भूपेन्द्र पाल सिंह प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर	यह आदेश दिनांक 30.6.2016 के बाद लागू होगा तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर में जब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
5	कलाली बलाली	श्री जीतपाल प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रावलधी	यह आदेश दिनांक 30.6.2016 के बाद लागू होगा तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रावलधी में जब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
6	कलानौर	श्री सुमित नरवाल, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किलोई	यह आदेश दिनांक 30.6.2016 के बाद लागू होगा तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कलानौर में जब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
7	महिला समालखा	श्री जगमोहन प्रधानाचार्य, वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पानीपत	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (महिला) समालखा में जब तक वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला) की नियुक्ति नहीं हो जाती।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 पर दिए गए अतिरिक्त चार्ज व आदान-प्रदान शक्तियों के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय देय नहीं होगा।

दिनांक 16.06.2016

अंशज सिंह
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क० केसी/टीई/99/158/डीडीओ/

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)।
2. सहायक निदेशक प्रशिक्षण।
3. मोडल अधिकारी विभागीय बैवसाइट।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नलवा, जमालपुर, महिला तोशाम व तोशाम, गिवानी, अम्बाला शहर, बराड़ा एट होली, कलाली बलाली, कलानौर, पानीपत, किलोई,
5. वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) समालखा।
6. सहायक खजाना अधिकारी, नलवा, तोशाम, गिवानी, पानीपत, बराड़ा एट होली, अम्बाला शहर, (महिला) समालखा, कलानौर, किलोई।
7. सम्बन्धित अधिकारी।

अधीक्षक (एफ.इ.जी-1)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।